

झारखण्ड सरकार  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

पत्रांक- 9/CDO-237/15-898 (रॉंची)

दिनांक 04/08/2021

प्रेषक,

रघुनन्दन प्रसाद शर्मा,  
मुख्य अभियन्ता (सी०डी०ओ०),  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. Dr. Amin Controllers Pvt. Ltd.  
Victoria Park, Smart Work Business Centre, Plot GN 37/2,  
Level 6, Suite 602, Sector V, Saltlake, kolkata- 700091  
Tel.- 03340847800/02/03/11  
Email:-rdatta@rcaindia.net
2. Om Research & Testing Laboratory  
Girwar Bhawan, Near Reliance Fresh, Ratu Road, Ranchi-05  
Cont.- 7362037216/ 6206339360  
Email: omlaboratories2019@gmail.com
3. Rites Limited  
Quality Assurance Division, Eastern Region Office,56,  
C.R. Avenue, 3rd Floor, Central Metro Station Building, Kolkata- 700012  
Cont.- 9073399500/ 033-22348912/ 8913/ 8665
4. Snow Fountain Consultants  
5/259 (H.I.G.), Vikas Nagar, Lucknow- 226022  
Cont.- 9415001208/ 9451545079/ 0522-4047624  
Email: snowfountain@gmail.com/ sfcakhilesh@gmail.com
5. CIPET (CSTS)  
Hehal, Ranchi-05  
Cont.- 8978480207  
Email:cipetranchi@gmail.com
6. SGS India Private Limited,  
Industrial Division Ecospace, Block-3A,  
2<sup>nd</sup> Floor, East Wing, Permisses IIF/11, Action Area-II,  
Rajarhat, New Town, Kolkata-700156  
E-mail : parijat.mukherjee@sgs.com, subrato.das@sgs.com
7. M/s MaRS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd.,  
92 Jyoti Path, Malti Kunj, Dibdih, Doranda, Ranchi-834002,  
Ph.: 0651-2242686 / +918420195300  
E-mail : sourabh@marsconsultancy.com
8. TSC Lab.  
Boriya Road, Ranchi  
Ph.: 0651-2971096, 9835781406, 8005716435  
E-mail : tsc.techno@gmail.com

विषय:- "Empanelment of Agencies for Inspection of Materials for Quality Assurance" के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-336(CDO) दिनांक-27.02.2021

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभाग में सम्पादित कराये जाने वाले योजनाओं को तीन श्रेणी यथा : (A) बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (MVS), (B) एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) के HDPE / MDPE पाईप एवं (C) D/T WELL, HYDT एवं अन्य योजनाओं के लिए सामग्रियों की जाँच हेतु Manufacturing End एवं Consignee End पर TPIA को अंचलवार कर्णांकित (Assign) कर दी गई है। उक्त के कारण कई अंचलों द्वारा कार्यभार अधिक होने के कारण ससमय सामग्रियों की जाँच में व्यावहारिक कठिनाई होने की सूचना प्राप्त हुई है एवं सूचीबद्ध सभी TPIA में से किन्हीं एक द्वारा

Manufacturing End में एवं शेष में से किन्हीं एक के द्वारा Consignee End पर जाँच कराने की आवश्यकता बताई गई है।

उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-336(CDO दिनांक-27.02.2021 के Annexure-1 (A, B & C) को विलोपित करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभाग में सूचीबद्ध सभी Third Party Inspection Agency (TPIA) में से किसी एक द्वारा स्वतंत्र रूप से सभी अंचलों (यांत्रिक सहित) में अपनी दक्षता के अनुरूप Manufacturing End पर एवं शेष बचे सूचीबद्ध TPIA में से किन्हीं एक द्वारा Consignee End पर सभी प्रकार के सामग्रियों (Materials / Items) की जाँच (Inspection) किया जायेगा।

शेष कण्डिका एवं शर्तें यथावत रहेगी।

इसपर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20.02.21

(रघुनन्दन प्रसाद शर्मा)

मुख्य अभियन्ता, सी०डी०ओ०।

दिनांक 04.08.2021

ज्ञापांक- 9/CDO-237/15-898 / राँची,

- प्रतिलिपि :-
1. विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख / मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / (पी०एम०यू०), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची / दुमका प्रक्षेत्र, दुमका / संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग) / सभी अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक सहित) / सभी कार्यपालक अभियन्ता (यांत्रिक सहित) / सी०डी०ओ० के सभी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.02.21

(रघुनन्दन प्रसाद शर्मा)

मुख्य अभियन्ता, सी०डी०ओ०।